विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

मु.न. 80/2013

उनवान

1. सुनील कुमार पुत्र श्री नाथूलाल जाति बुनकर, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र श्री सबला जाति बुनकर
2. रामेश्वरी देवी पत्नि स्व. नाथू
3. विजय पुत्र श्री नाथू
4. ममता देवी पुत्री नाथू
5. सत्यनारायण पुत्र स्व. बिरदा
6. पप्पु पुत्र स्व. बिरदा
7. नन्दु पुत्री स्व. बिरदा
8. सुशीला पुत्री स्व. बिरदा
9. घीसा पुत्र मोती

   समस्त जाति बुनकर निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. रजनी देवी पत्नी हनुमान जाति खटीक निवासी मोरीजा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मोतीराम पुत्र श्री कानाराम जाति बैरवा निवासी प्लाट न. 2 प्रेमनगर गुर्जर की थडी जयपुर जिला जयपुर।
12. उपपंजियक चौमूं, उपपंजियक कार्यालय चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा में पेश हुई। वादी ने अपना वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी मोरीजा, पटवार क्षेत्र मोरीजा तहसील चौमूं जिला जयपुर का स्थाई निवासी है, व काश्तकार एवं मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं। वादी व प्रतिवादीगण कि शामलाती काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.77 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा ए, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हैं। जो वादी व प्रतिवादीगण क.सं. 2 ता 4 का हिस्सा 1/4 व 1/8 निहित है व शेष हिस्सा प्रतिवादी 1 ता 5 ता 8 है जो अपने 2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा 1/8 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 4 में परदादा व दादाससुर मोटा पुत्र दुला के फौत होने पर हिस्से में आया जिसका नामान्तकरण नही खुला है, खसरा नम्बर 287 में प्रतिवादी एक का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी 1 के दादा मोटा पुत्र श्री दुल्ला के फौत होने पर आया हिस्सा 1/8 प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 का हिस्सा 1/4 जो कि

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

उनके दादा मोटा पुत्र दुला के फौत होने पर आया जिसका नामान्तरण नही खुला है तथा खसरा नम्बर 3401 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम मोरीजा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हैं, में वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का 1/12 हिस्सा निहित है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 1/12 निहित है व प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 1/3 जो कि खातेदार मानाराम, कल्याण पुत्रान बोदू कि पूर्व में मृत्यू हो जाने व उनके वारिस केशरी देवी पत्नि स्व. कल्याण सहाय व बरजी देवी पत्नि स्व. मानाराम के जरिये विकय पत्र केता हिस्सेदार व उक्त विकय पत्र दिनांक 08.10.2008 को प्रतिवादी सं. 1 जिल्द सं. 273 में पृष्ठ संख्या 63 क.स. 2008004076 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 110 से 116 पर चस्पा किया गया। उक्त भूमि को इस वाद पत्र के अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहां गया हैं।

वादी–प्रार्थी संख्या 1 ता 11 अर्से दराज से मनबट के आधार पर शामलाती में काश्त करते आ रहे हैं एवं मनबंट के आधार पर वादी के अपने हिस्से में भूमि पर सींव डोल कर चारों सीमाएं महदूद कर रखी है तथा अपने हिस्से में आई भूमि को काफी खर्चा कर काबिले काश्त बनाई है परन्तु उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं।

उक्त भूमि रोड से लगवा स्थित होने के कारण अब प्रतिवादीगण– संख्या 1 ता 6 की नियत मे फितूर आ गया हैं, इस कारण अब प्रतिवादीगण– पूर्व के हुये मनबंट बटवारें को नही मान रहे है, एवं वादी के हिस्से में आई भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है, एवं करने के आशय से वादी के हिस्से की भूमि की तारबन्दी तोउ दी व नींव खोद कर जबरिया निमाण करने लगे जब वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को मना किया व कहां की उक्त भूमि शामिलाती है तथा जब तक तकासमा नही हो जाता है, तब तक भूमि को बैचान नहीं करे, जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 उग्र हो गये एवं गाली गलोच कर ऐलानिया धमकी देने लगे कि उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करके बैचान करेंगे एवं जबरन कब्जा करेंगे। इस कारण वादी को श्रीमान् की शरण में आकर यह वाद पेश करना लाजमी आया है।

वादी को कानूनन हक अधिकार हासिल है कि वह न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि विवादग्रस्त का कब्जे की प्राथमिकता के आधार पर तकासमा करवाये तथा अपने हिस्से की भूमि के खाते का पृथक से पर्चा लगानन कायम करवाये व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि वे भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही जबरन नींव खोद कर अवैध रूप से निर्माण करे, ना ही वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर बेदखल करें, ना ही वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 12 वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेख पत्र को पंजीबद्ध करे, ना ही प्रतिवादी संख्या 13 राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करे, ना ही

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वाद वादी बाबत तकासमा का डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं.2 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात का कब्जे की प्राथमिकता के आधार पर तकासमा किया जावे तथा वादी के हक हिस्से की खातेदारी का पृथक–पृथक पर्चा लगान कायम किया जावें।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावे वे भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही जबरन नींव खोद कर अवैध रूप से निर्माण करे, ना ही वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर बेदखल करे, ना ही वादी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 12 वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेख पत्र को पंजीबद्ध करे, ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मात्र तकासमा का हैं। वाद पत्र में उल्लेखित आ0ख0न0 287 रकबा 0.87 हैक्टेयर की खातेदारी में मोटा पुत्र दुला हि0 1/2 का नाम दर्ज हैं। उक्त खातेदार वाद पत्र के अनुसार पूर्व में फौत हो चुका हैं, जिसका विरासत का नामान्तकरण खुले बिना ही वादी ने तकासमा का दावा पेश किया हैं। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त मृतक खातेदार के हिस्से में से, में भी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि का बेचान कर दिया हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में खातेदार मोटा पुत्र दुला को मृतक बताया हैं। लेकिन उक्त वाद में वादी ने खातेदार की विरासत की घोषणा भी नही की हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद पत्र सारहीन प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बाबत तकासमा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारित किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा में न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. सुनील कुमार पुत्र श्री नाथूलाल जाति बुनकर, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र श्री सबला जाति बुनकर
2. रामेश्वरी देवी पत्नि स्व. नाथू
3. विजय पुत्र श्री नाथू
4. ममता देवी पुत्री नाथू
5. सत्यनारायण पुत्र स्व. बिरदा
6. पप्पु पुत्र स्व. बिरदा
7. नन्दु पुत्री स्व. बिरदा
8. सुशीला पुत्री स्व. बिरदा
9. घीसा पुत्र मोती

समस्त जाति बुनकर निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

10. रजनी देवी पत्नी हनुमान जाति खटीक निवासी मोरीजा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मोतीराम पुत्र श्री कानाराम जाति बैरवा निवासी प्लाट न. 2 प्रेमनगर गुर्जर की थडी जयपुर जिला जयपुर।
12. उपपंजियक चौमूं, उपपंजियक कार्यालय चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 80/2013

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादीगण व प्रतिवादीगण हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– वादी का वाद बाबत तकासमा सारहीन होने से इसी स्तर पर खारित किया जाता हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 18.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत

ओहदा उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	4	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	4	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner